[Dr. Ram Subhag Singh]

to them should be discussed during this session.

श्री रवि राय (पुरी): इसमें कच्छ वाला भी है।

DR. RAM SUBHAG SINGH: Yes. But the decision taken was that at least two of them should be discussed during this session. The session is on and I am committed to provide time for two motions.

---

**12.16 hrs.**

## MATTER UNDER RULE 377 *RE.* DEPUTY PRIME MINISTER'S STATEMENT ON COMPANIES (AMENDMENT) BILL

**श्री मधु लिमये** (मुंगेर) : कंपनियों द्वारा राजनीतिक दान पर रोक लगाने सम्बन्धी सरकारी वायदे पर नियम 377 के अन्तर्गत में निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय, कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को दिये जाने वाले दान पर रोक लगाने के बारे में कांग्रेस संसदीय दल की कार्य-समिति में हुई बहस का विवरण परसों पैट्रियट और अन्य अखबारों में पढ़कर मुझे अचरज हुआ। उस रपट के केवल दो अनुच्छेदों का मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं :—

> "कम्पनियों द्वारा दान पर रोक विधेयक का भविष्य सन्देहास्पद।
>
> कम्पनियों द्वारा राजनीतिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले दान पर रोक लगाने के विधेयक का भविष्य तब दुविधापूर्ण हो गया जब उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की कार्य समिति को यह आश्वासन दिया कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अंतिम निर्णय कार्य-समिति की सम्मति से लिया जायेगा।
>
> श्री मोरार जी देसाई ने, जो कि प्रधान मंत्री के अस्वस्थ होने के कारण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, दल के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा बिल का कड़ा विरोध करने पर कहा कि बिना दल की राय लिए सरकार द्वारा यह बिल पेश करना ही गलत था।"

पैट्रियट की इस रपट के बारे में मैंने कांग्रेस कार्य समिति के कुछ सदस्यों से बात की। उन सभी लोगों ने मुझे यह बताया कि यह रपट सही है।

इस सदन में यह निर्णय कई बार हो चुका है कि यदि दल की बैठकों का समाचार बाहर प्रेस में जाता है और जन-साधारण की सूचना के लिए छपता है तो सदन इस पर जरूर ध्यान देगा। कार्य-समिति की इस बैठक में उप-प्रधान मंत्री द्वारा अपनाये गये रुख से तथा कम्पनी कानून मंत्री की चुप्पी से मुझे चिन्ता है।

आप को शायद याद होगा कि संसद् के 1967 के शारदीय सत्र में निजी सदस्य के विधेयक के तौर पर मेरा कम्पनी संशोधन विधेयक बहस के लिए आया था। उस समय इस विधेयक को सदन के सभी विभागों की ओर से काफी समर्थन मिला था। सभी विरोधी पार्टीयों ने स्वतंत्र पार्टी तथा जनसंघ समेत इस विधेयक का समर्थन किया था। विशेष बात तो यह है कि सत्ताधारी कांग्रेस दल के सदस्यों ने भी इस विधेयक की पुरजोर शब्दों में ताईद की। न सिर्फ सर्व श्री नाहाटा और रणधीर सिंह ने बल्कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा श्री कमल नयन बजाज ने भी कम्पनी दान पर रोक लगाने के सिद्धान्त का स्वागत किया जहां तक मुझे याद है एक भी सदस्य इस सिद्धान्त के विपक्ष में नहीं बोला।

सदन की स्पष्ट राय को देख कर औद्योगिक विकास मंत्री ने मंत्री-मंडल की स्वीकृति से मुझे यह आश्वासन दिया कि

यदि मैं अपने इस विधेयक को वापस ले लूं तो वह स्वयं अपनी तरफ से सरकारी बिल के रूप में उस का ठोस कानूनी आधार देकर इसे सदन के अगले यानी बजट-सत्र में पेश करेंगे।

जब पिछली फरवरी में संसद का बजट-सत्र आरम्भ हुआ तो कुछ इस तरह की खबर पा कर मुझे बेचैनी हुई कि सदन के बाहर के कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा इस बिल को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए मैंने इस विषय में सरकारी मन्शा जानने को कई नोटिस और अल्प-सूचना प्रश्न दिए। लोक सभा सचिवालय ने मुझे जो सूचना दी उस में औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा उन को लिखे पत्र का कुछ हिस्सा उद्धृत किया गया था। जिसमें उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस विधेयक की हुई आलोचना के बावजूद सरकार अपने वायदे पर दृढ़ रहेगी और वह इसी सत्र में इस विधेयक को सदन में पेश करेगी। काफी देर बाद सरकार ने 1968 के बजट-सत्र के अन्त में यह विधेयक पेश किया।

अब मोरारजी देसाई के इस कथित बयान के संसद् को दिये गये आश्वासन के भंग का अन्देशा उत्पन्न हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कांग्रेस पार्टी को कार्य समिति के सदस्यों द्वारा इस विधेयक की आलोचना करने के नाम पर अपने वायदे से मुकरना चाहती है ? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कांग्रेस दल कोई भी विधेयक या प्रस्ताव सदन में पेश करने से पहले अपने सदस्यों से सलाह-मशविरा करने के बारे में क्या कार्य-प्रणाली अपनाता है, यह उसका अन्तर्गत सवाल है। मेरा संबंध सिर्फ इस बात से है कि अब यह विधेयक सरकार और कांग्रेस संसदीय दल के सदस्यों के बीच का मामला नहीं रहा। सरकार ने सदन को दृढ़ आश्वासन दिया है और मुझे आशा है कि कम से कम सरकार के सदस्य यानी मंत्री इस बात का भरसक प्रयत्न करेंगे कि इस विधेयक पर इस सत्र में अवश्य विचार किया जायेगा चूंकि सदन ने सर्व सम्मति इस विधेयकके बुनियादि सिध्दांत का समर्थन किया था, इस लए मेरी राय में अब इस बात की आवश्यकता नहीं कि इसे प्रवर-समिति या संयुक्त समिति के पास विचारार्थ भेजा जाय।

क्या उप-प्रधान मंत्री स्वयं अपनी तथा सरकार की इस प्रश्न पर क्या नीति है, इसकी सफाई करेंगे और वायदों तथा आश्वासनों की प्रतिष्ठा कायम रखेंगे।

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): I am not going to give any assurance that is asked for by the hon. Member. I am not called upon to do so. If the hon. Member has got information about any meeting of the Executive Committee that was held by the Congress Party, I am not responsible for that information. It was a private meeting. All parties hold their meetings privately; it is ont only the Congress Party that does it. There will be no sanctity left to these meetings if they are going to be utilised in the manner in which it is being used. That is one thing. This is one way of getting from us a report about what happens in the Executive Committee. I am not going to oblige members in this matter . . .

श्री रवि राय (पुरी) : यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री मधु लिमये : आपने लोग लीक करते हैं, आप के लोग अखबार वालों को बोलते हैं, इसमें हम लोगों का क्या कसूर है। आप गुप्त रखिये।

SHRI MORARJI DESAI: If the hon. members only want to make noise, I cannot help it. I am prepared to sit down if they want to make noise. I did not make any noise when he read it. But the hon. members want to make noise now. Why do

[Shri Morarji Desai]

they not want to hear me? If the hon. members are very courageous, they cannot frighten me. That is what I am going to tell them. They cannot dictate to me. I do not want to dictate to them anything. But one who does not want to be dictated must not dictate to somebody else anything. This is what I have to plead with my hon. friends.

I am not, therefore, going to say what happened in the Executive Committee, but I must say here when he has put two matters that I assured the Executive Committee . . . (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये : आपने पढ़ा नहीं है। मैंने इनके बारे में नहीं कहा था.....

(व्यवधान).....

SHRI MORARJI DESAI: He has not heard me at all.

MR. SPEAKER: You may not agree with him, but you should hear him.

SHRI MORARJI DESAI: What I am saying, he has not heard me. I am not referring myself to any assurance; I am referring to the report in the *Patriot*. If the hon. Member relies on, and he also repeats it, where is it said that I assured the Executive Committee members or the Executive Committee that decision will be taken with the consent of the Executive Committee? This is entirely false, and if any members of my Party have told the hon. Member, I should like to be confronted with them. Then he will know who is right and who is wrong, because this is not a thing which is said even by the farthest imagination. Therefore, this is entirely wrong.

About the other thing, when I have said it, I am within my rights; that is also a duty that the Government should consult the Party before it takes any important decision; therefore, it was wrong to have taken this decision without taking the party into consultation. That is all that I have said. I stick to it and I will stick to it. I have nothing more to say.

---

**12.24 hrs.**

## BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Morarji Desai on 1st August, 1968, namely:—

> "That the Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949, so as to provide for the extension of social control over banks and for matters connected therewith or incidental thereto, and also further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, and the State Bank of India Act, 1955, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

Yesterday there was a point of order raised by Shri Srinibas Misra. Would the hon. Minister like to say something about the point of order?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): This is a fantastic point of order that has been raised. That is all that I would say. It either means that the hon. Member does not know how to read the sections of law or it means that this is a deliberate attempt only to pass time, for the thing is so clear. He says that these sections are omitted. I do not know how he says that these sections are omitted.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): He may be the Deputy Prime Minister or Shri Morarji Desai. But is he entitled to speak like this?

SHRI MORARJI DESAI: I am entitled to speak like that? If I am not justified, the hon. Member can certainly pull me up. Let him first hear me and then say what he wants.

He has said that certain sections are omitted from this Act. That is not